

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:--स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / / 583/2024

दिनांक : 24.04.2024

सुश्री मीनाक्षी जैन (RJ00394), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बीकानेर को दिनांक 16.03.2024 से 22.03.2024 तक 07 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 23.03.2024 से 25.03.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री जैन की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बीकानेर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बीकानेर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:--स्था.बी.2(4)/26/2002/3211

दिनांक 24.04.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बीकानेर को उनके पत्रांक 12 दिनांक 26.03.2024 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री मीनाक्षी जैन (RJ00394), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बीकानेर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बीकानेर।

सहायक रजिस्ट्रार